[2021] 2 उम. नि. प. 44

राजेश धिमान

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

गुलशन राणा

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

[2013 की दांडिक अपील सं. 1032 और इसके साथ 2019 की दांडिक अपील सं. 1126]

26 अक्तूबर, 2020

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 और 50 – पुलिस द्वारा यातायात की जांच-पड़ताल के दौरान अभियुक्तों द्वारा लिए हुए थैले से विनिषिद्ध पदार्थ 'चरस' की वाणिज्यिक मात्रा बरामद किया जाना – अन्वेषक अधिकारी द्वारा स्वयं अपनी शिकायत का अन्वेषण किया जाना – स्वतंत्र साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – अभिग्रहण की बाबत किसी स्वतंत्र तटस्थ साक्षी की परीक्षा न कराना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अपील न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – जहां अभियुक्तों ने स्वयं घटनास्थल पर मौजूद होने की बात स्वीकार की हो, पुलिस द्वारा उन्हें दुश्मनी के कारण मिथ्या फंसाए जाने का कोई दावा न हो, तलाशी किसी पूर्व सूचना के आधार पर न होकर तत्काल हो और मामला संयोगवश बरामदगी का हो, शासकीय साक्षियों का साक्ष्य अकाट्य पाया गया हो, शिकायतकर्ता-पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं मामले का अन्वेषण करने से अभियुक्त के साथ पक्षपात बरतने की बात

प्रदर्शित न होती हो, वहां स्वतंत्र साक्षी की मात्र परीक्षा न कराने से अभियुक्त दोषमुक्ति के हकदार नहीं हो जाते हैं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उनकी दोषसिद्धि उचित है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि एक पुलिस दल जब यातायात की जांच-पड़ताल कर रहा था तब एक मोटर साइकिल नम्बर प्लेट के बिना देखी गई । एक अभियुक्त-अपीलार्थी (गुलशन राणा) यान को चला रहा था और अभियुक्त-अपीलार्थी (राजेश धिमान) अपने कंधे पर एक पीठू थैला लटका कर पीछे बैठा हुआ था । उन्हें रुकने का संकेत किया गया और मोटर साइकिल के दस्तावेज मांगे गए । इसी बीच, एक अन्य यान को रोका गया और इसके अधिभोगियों करम चंद (अभि. सा. 3) और शिव राम को तलाशी में सम्मिलित किया गया । पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों का साक्षी होने के लिए स्थानीय निवासियों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु कोई सहमत नहीं हुआ । इसके पश्चात्, अपीलार्थियों को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विकल्प दिया गया किंतु उन्होंने घटनास्थल पर ही पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की । इसके पश्चात्, पुलिस का राजेश धिमान द्वारा लिए हुए पीठू थैले से पोलिथीन की थैलियां मिली जिनमें चरस थी । पोलिथीन की थैलियों को तोला गया और उनका वजन 3 किलो 100 ग्राम पाया गया । कुछ नमूने अलग करने के पश्चात्, चरस को उचित रूप से मुहरबंद किया गया और करम चंद को सौंप दिया गया जिसने बाद में इसे पुलिस थाने में जमा कर दिया । अपीलार्थियों की शारीरिक तलाशी पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया । अभियोजन पक्ष ने संयोगवश बरामदगी के अपने पक्षकथन का समर्थन करने के लिए नौ साक्षियों की परीक्षा की जिनमें आठ पुलिस पदधारी और एक स्वतंत्र साक्षी करम चंद (अभि. सा. 3) सम्मिलित थे । जबकि पुलिस साक्षियों ने एक-दूसरे के परिसाक्ष्य की जोरदार रूप से संपुष्टि की, किन्तु अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि उसने स्वापक पदार्थ के अभिग्रहण को न देखे जाने का दावा किया । यद्यपि, अपीलार्थियों ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु उन्होंने एक आनुकल्पिक

वृत्तांत प्रस्तुत किया और दावा किया कि एक निकटवर्ती मंदिर से वापस आते हुए उन्होंने एक अपरिचित तीसरे व्यक्ति को लिफ्ट दी थी । यह दावा किया गया कि बरामद किया गया पीठू थैला जिसमें स्वापक पदार्थ था, वह उस अपरिचित व्यक्ति का था, जो अभिकथित रूप से उस समय घटनास्थल से बचकर भाग गया था जब पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल को रोका गया था । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने तारीख 28 दिसम्बर, 2002 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है । तथापि, अपील में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को अपास्त कर दिया और अपीलार्थियों को चरस कब्जे में रखने के लिए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के मामलों में स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करना सदैव वांछनीय है किन्तु उनकी परीक्षा न कराना स्वयंमेव अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा, विशेष रूप से जब पुलिस द्वारा उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए सम्यक् प्रयत्न किया गया हो । प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने के प्रति प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं पाया क्योंकि अभि. सा. 8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उस जगह से व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु सफलता नहीं मिली थी, और शिव राम को अपने पक्ष में कर लिया गया था । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया और दृढ़तापूर्वक यह अभिनिर्धारित किया कि विनिषिद्ध पदार्थ के अभिग्रहण से लेकर इसके रासायनिक विश्लेषण तक की घटनाओं की श्रृखंला पूरी तरह से पूर्ण है । यह अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षपात के किसी अभिकथन के अभाव में, शासकीय साक्षियों के अन्यथा अकाट्य कथनों को त्यक्त करना गलत था । उच्च न्यायालय ने कई सारे निर्णयों का विश्लेषण किया और यह राय व्यक्त की कि पुलिस अधिकारियों के

परिसाक्ष्य संवीक्षा और संपुष्टि के सशक्त मानक के अध्यधीन होने चाहिए ; जो इस मामले में सावधानी और सतर्कता से मूल्यांकन करने के पश्चात् इसके अनुरूप पाए गए हैं । बरामद की गई चरस की मात्रा को 'वाणिज्यिक' होना अभिनिर्धारित किया गया और परिणामत: प्रत्येक अपीलार्थी पर 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश और 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना अधिरोपित किया गया । अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय को अभि. सा. 8 के विरुद्ध स्वयं अपनी शिकायत का अन्वेषण करने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है । पक्षपात करने का अपीलार्थियों का दावा तात्पर्यित विलंब, कानूनी अधिदेशों के अननुपालन और स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराने से उत्पन्न होता है । वास्तव में, अपीलार्थी घुमा-फिराकर इन्हीं तर्कों का प्रयोग करने की ईप्सा कर रहे हैं जिनको उच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग तौर पर तथ्यात्मक रूप से गलत और विधिक रूप से असंगत अभिनिर्धारित किया गया था । यद्यपि कुछ मामलों में, अन्वेषक अधिकारी द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों (या उनकी कमी) से पक्षपात उपदर्शित हो सकता है; किंतु अन्वेषण में की मात्र कमियां या अभियोजन के पक्षकथन में की खामियां पक्षपात का निष्कर्ष निकालने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं । अपीलार्थियों ने किसी भी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया था कि उन्हें मिथ्या रूप से फंसाने और वास्तविक अपराधियों को जाने देने के लिए पुलिस के साथ कोई दुश्मनी थी या उनका कोई हेतु था । इसके अतिरिक्त, स्वयं पुलिस द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध चरस की इतनी बड़ी मात्रा को गढ़ा नहीं जा सकता था । अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अपने-अपने कथनों पर यह दावा किया था कि जब वे एक मंदिर के दर्शन करने के पश्चात् आ रहे थे तो "एक व्यक्ति ने हमसे यान पर लिफ्ट ली थी । जब वे अनि बाजार पहुंचे तो पुलिस पदधारियों ने यान के कागजात मांगे और उस

प्रयोजनार्थ उन्हें यान सहित पुलिस थाने ले जाया गया और इसी बीच तीसरा व्यक्ति घटनास्थल से भाग गया ।" यह दावा, कि अभिगृहीत विनिषिद्ध पदार्थ एक अपरिचित अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जा रहा था जो लिफ्ट लेने के लिए रहस्यात्मक रूप से सड़क के किनारे आया था और जैसे ही पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल रुकवाई गई वह अबोधगम्य रूप से वहां से हवा में गायब भी हो गया, स्पष्टत: काल्पनिक है और इसका लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है । ऐसे वृत्तांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने पर अभियोजन का पक्षकथन ही मजबूत होता है । अपीलार्थियों ने प्रभावी रूप से यह स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे ; पुलिस के साथ वास्तव में कुछ पारस्परिक क्रिया हुई थी ; यान को रुकवाने के लिए पर्याप्त हेतु था और ऐसी तलाशी किसी पूर्व सूचना पर आधारित नहीं थी अपितु स्वाभाविक थी और इस प्रकार यह एक संयोगवश बरामदगी का मामला था । उच्च न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक ठीक ही यह मूल्यांकन किया गया है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने से कोई स्वयंमेव दोषमुक्ति की ईप्सा करने का हकदार नहीं हो जाएगा । यद्यपि ऐसे दृष्टांतों में न्यायालय पर सावधानी बरतने का अत्यधिक उच्च मानक अधिरोपित हो जाता है, किन्तु यहां यह सुझाव देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं था । उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विस्तार से पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् सरकारी पदधारियों के परिसाक्ष्यों को अकाट्य पाए जाने पर उनका ठीक ही अवलंब लिया गया था । न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष (निष्कर्षों) से असहमत होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 11, 16 और 18)

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालयों को किसी दोषमुक्ति को उलटने और एक समुचित दंडादेश अधिनिर्णीत करने की शक्ति है ; यद्यपि वे व्यवहारत: ऐसी शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें । उदाहरण के लिए, विधि की स्पष्ट गलतियां, न्याय की घोर हानि या तथ्य के अनुचित निष्कर्ष ऐसे कुछ अनुज्ञेय कारण हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे हस्तक्षेप करने को आवश्यक बनाते हैं । इस मामले में, विचारण न्यायालय ने तथ्यों का मूल्यांकन एक यांत्रिक

रीति में किया और विधि के गलत निवर्चन के आधार पर विशिष्ट रूप से सबूत के भार के समाधान के संबंध में, अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को खारिज कर दिया । अतः, उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने और एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त कारण थे । (पैरा 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 700 : **मुकेश सिंह** बनाम **राज्य (स्वापक ओषधि शाखा, दिल्ली)** ; 8,10,12,13

[2018] (2018) 17 एस. सी. सी. 627 : **मोहन लाल** बनाम **पंजाब राज्य** ; 9

[2005] (2005) 4 एस. सी. सी. 350 : ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2265 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पवन कुमार** ; 21

[1993] 1993 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3716 (राज.) : **ज्ञान चंद** बनाम **राजस्थान राज्य** ; 5

[1979] (1979) 1 एस. सी. सी. 355 : **के. गोपाल रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 1032 (इसके साथ 2019 की दांडिक अपील सं. 1126).

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 28 अगस्त, 2012 के सामान्य निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री सौरभ अजय गुप्ता, निशांत बिश्नोई, (सुश्री) सृष्टि प्रभाकर, ऋषिकेश एस. चिटले, विजयकारी सिंह और रजत जोसफ

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अभिनव मुखर्जी, अपर महाधिवक्ता, श्रीमती बिहु शर्मा और सुश्री प्रतिष्ठा विज

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिया ।

न्या. सूर्यकांत – विडियो कांफ्रेसिंग द्वारा सुनवाई की गई ।

2. ये दांडिक अपीलें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 28 अगस्त, 2012 के उस एक सामान्य निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों की स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन दोषमुक्ति को उलट दिया गया था और प्रत्येक को दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,00,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया था ।

तथ्य

3. वे तथ्य, जिनके आधार पर दोनों अपीलें उद्भूत हुई हैं, एक जैसे ही हैं । तारीख 9 जनवरी, 2002 को लगभग 1.00 बजे अपराह्न में एक पुलिस दल, जिसका नेतृत्व सहायक उप-निरीक्षक पुरुषोत्तम दत्त (अभि. सा. 8) कर रहे थे और जिसमें कांस्टेबल सुंदर सिंह (अभि. सा. 1) कांस्टेबल भूप सिंह (अभि. सा. 2) और कांस्टेबल भोपाल सिंह (अभि. सा. 7) भी थे, जब शामशार में यातायात की जांच-पड़ताल कर रहा था तब एक मोटर साइकिल नम्बर प्लेट के बिना देखी गई । गुलशन राजा (2019 की दांडिक अपील सं. 1126 में अपीलार्थी) यान को चला रहा था और राजेश धिमान (2013 की दांडिक अपील सं. 1032 में अपीलार्थी) अपने कंधे पर एक पीठू थैला लटका कर पीछे बैठा हुआ था । उन्हें रुकने का संकेत किया गया और मोटरसाइकिल के दस्तावेज मांगे गए । इसी बीच, एक अन्य यान को रोका गया और इसके अधिभोगियों करम चंद (अभि. सा. 3) और शिव राम को तलाशी में सम्मिलित किया गया । पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों का साक्षी होने के लिए स्थानीय निवासियों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु कोई सहमत नहीं हुआ । इसके पश्चात्, अपीलार्थियों को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विकल्प दिया गया किंतु उन्होंने

घटनास्थल पर ही पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की । इसके पश्चात्, पुलिस का राजेश धिमान द्वारा लिए हुए पीठू थैले से पोलिथीन की थैलियां मिली जिनमें चरस थी । पोलिथीन की थैलियों को तोला गया और उनका वजन 3 किलो 100 ग्राम पाया गया । कुछ नमूने अलग करने के पश्चात्, चरस को उचित रूप से मुहरबंद किया गया और करम चंद को सौंप दिया गया जिसने बाद में इसे पुलिस थाने में जमा कर दिया । अपीलार्थियों की शारीरिक तलाशी पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया ।

4. अभियोजन पक्ष ने संयोगवश बरामदगी के अपने पक्षकथन का समर्थन करने के लिए नौ साक्षियों की परीक्षा की जिनमें आठ पुलिस पदधारी और एक स्वतंत्र साक्षी करम चंद (अभि. सा. 3) सम्मिलित थे । जबकि पुलिस साक्षियों ने एक दूसरे के परिसाक्ष्य की जोरदार रूप से संपुष्टि की, किन्तु अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि उसने स्वापक पदार्थ के अभिग्रहण को न देखे जाने का दावा किया । स्थल-नक्शा, गिरफ्तारी ज्ञापन, तलाशी ज्ञापन, सहमति ज्ञापन, अभिग्रहण ज्ञापन, रुक्का, मुहर, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट और चरस के नमूनों को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया । उत्तर में, दोनों अपीलार्थियों ने अपनी निर्दोषिता का प्राख्यान किया । यद्यपि, अपीलार्थियों ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु उन्होंने एक आनुकल्पिक वृत्तांत प्रस्तुत किया और दावा किया कि एक निकटवर्ती मंदिर से वापस आते हुए उन्होंने एक अपरिचित तीसरे व्यक्ति को लिफ्ट दी थी । यह दावा किया गया कि बरामद किया गया पीठू थैला जिसमें स्वापक पदार्थ था, वह उस अपरिचित व्यक्ति का था, जो अभिकथित रूप से उस समय घटनास्थल से बचकर भाग गया था जब पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल को रोका गया था ।

5. विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने तारीख 28 दिसम्बर, 2002 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि घटनास्थल पर के

साक्षियों की या तो परीक्षा नहीं की गई थी या पक्षद्रोही हो गए थे । इस प्रकार, अभियोजन के पक्षकथन का प्रत्येक अलग-अलग तत्व अर्थात् शारीरिक तलाशी का ज्ञापन तैयार करने से लेकर सहमति ज्ञापन, बरामदगी ज्ञापन, अपीलार्थियों के नातेदारों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने और अभि. सा. 3 को मुहर सौंपने तक स्वतंत्र साक्षी की संपुष्टि के अभाव में संदेह के घेरे में है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(4) के निबंधनों के अनुसार किसी अन्य स्थानीय निवासी को एक तटस्थ साक्षी के रूप में सम्मिलित करने में असफल रहना भी अभियोजन के वृत्तांत पर गंभीर संदेह पैदा करने वाला अभिनिर्धारित किया गया । **ज्ञान चंद** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक विनिश्चय का अवलंब लेते हुए विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने इस तथ्य की भी आलोचना की कि स्वयं शिकायतकर्ता अन्वेषक अधिकारी था जिससे अन्वेषण की ऋजुता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि दो निर्वचन निकलते हैं इसलिए जो अभियुक्तों का समर्थनकारी है उसे अधिमान दिया जाना चाहिए । परिणामत:, यह अभिनिर्धारित किया कि जैसा कि स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, अपीलार्थियों से कोई चरस बरामद नहीं की गई थी ।

6. तथापि, अपील में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को अपास्त कर दिया और अपीलार्थियों को चरस कब्जे में रखने के लिए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के मामलों में स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करना सदैव वांछनीय है किन्तु उनकी परीक्षा न कराना स्वयंमेव अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा, विशेष रूप से जब पुलिस द्वारा उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए सम्यक् प्रयत्न किया गया हो । प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने के प्रति

---

[1] 1993 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3716 (राज.).

प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं पाया क्योंकि अभि. सा. 8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उस जगह से व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु सफलता नहीं मिली थी, और शिव राम को अपने पक्ष में कर लिया गया था । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया और दृढ़तापूर्वक यह अभिनिर्धारित किया कि विनिषिद्ध पदार्थ के अभिग्रहण से लेकर इसके रासायनिक विश्लेषण तक की घटनाओं की श्रृखंला पूरी तरह से पूर्ण है । यह अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षपात के किसी अभिकथन के अभाव में, शासकीय साक्षियों के अन्यथा अकाट्य कथनों को त्यक्त करना गलत था । उच्च न्यायालय ने कई सारे निर्णयों का विश्लेषण किया और यह राय व्यक्त की कि पुलिस अधिकारियों के परिसाक्ष्य संवीक्षा और संपुष्टि के सशक्त मानक के अध्यधीन होने चाहिए ; जो इस मामले में सावधानी और सतर्कता से मूल्यांकन करने के पश्चात् इसके अनुरूप पाए गए हैं । बरामद की गई चरस की मात्रा को 'वाणिज्यिक' होना अभिनिर्धारित किया गया और परिणामत: प्रत्येक अपीलार्थी पर 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश और 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना अधिरोपित किया गया ।

पक्षकारों की दलीलें

7. हमने पक्षकारों की ओर से कांउसेलों को पर्याप्त विस्तार से सुना और अभिलेख का परिशीलन किया । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय को सुयोग्य दोषमुक्ति को नहीं उलटना चाहिए था क्योंकि अभिलेख पर के साक्ष्य से एक ही घटना के दो भिन्न निर्वचन निकलकर आए थे और इस प्रकार हमारी विधिक व्यवस्था के अधीन निर्दोषिता की उपधारणा को ध्यान में रखते हुए जो निर्वचन अपीलार्थियों के लिए फायदाप्रद था, उसे अपनाना चाहिए था । इस बात को उजागर किया गया कि शिकायतकर्ता और अन्वेषक अधिकारी एक ही व्यक्ति था और इस प्रकार अन्वेषण की ऋजुता और निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है । शिवराम की परीक्षा न कराना और करम चंद (अभि. सा. 3) द्वारा संपुष्टि न करने की बात को अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक होना बताया गया । ऐसे

मामले के बीच एक स्पष्ट सुभेद करने की ईप्सा की गई जहां स्वतंत्र साक्षी मौजूद न हों और जहां प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने अभियोजन के वृत्तांत का सक्रियता से खंडन किया हो । यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध नहीं करना चाहिए था कि स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराने की बात महत्वहीन थी, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति के कई अन्य आधार भी थे जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा कतई विचार नहीं किया गया था, जिनमें अभि. सा. 3 द्वारा दिए गए आनुकल्पिक वृत्तांत के साथ पठित अपीलार्थियों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए कथन तथा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अननुपालन भी सम्मिलित है ।

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान **मुकेश सिंह** बनाम **राज्य (स्वापक ओषधि शाखा, दिल्ली)**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के एक हाल ही के निर्णय की ओर आकृष्ट किया, जिसमें स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों में शिकायतकर्ता के ही अन्वेषक अधिकारी होने की अनुज्ञेयता पर प्राधिकारवान रूप से विधि स्थिर की गई है । स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराने के संबंध में अपीलार्थियों की दलील का खंडन करते हुए शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को अकाट्य और विश्वासोत्पादक होने के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया ; और इसलिए एक स्वतंत्र साक्षी द्वारा की गई मंसूखी अपीलार्थियों के लिए दोषमुक्ति अर्जित करने हेतु पूर्णत: अपर्याप्त थी ।

विश्लेषण

I. क्या शिकायतकर्ता ही अन्वेषक अधिकारी होने के कारण पक्षपात कारित हुआ था ?

9. प्राथमिक विवाद्यक जिस पर दोनों पक्षों द्वारा वाद-विवाद किया गया है वह प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता, अभि. सा. 8 के अन्वेषक

---

[1] (2020) एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 700.

अधिकारी होने के संबंध में है । अपीलार्थियों ने यह दलील देनी चाही कि **मोहन लाल** बनाम **पंजाब राज्य**[1] तक मामलों की एक लंबी कतार है, जिनमें यह विधिक प्रतिपादना अधिकथित की गई है कि स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा अन्वेषण करना स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी अधिनियम की स्कीम के प्रतिकूल होगा और इससे संपूर्ण विचारण जोखिम-भरा हो जाएगा ।

10. यह कहना पर्याप्त है कि इस मुद्दे पर विधि अब अनिर्णीत विषय नहीं है और संविवाद का, यदि कोई है, इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में निपटारा कर दिया गया है । उस पूर्ववर्ती विधिक स्थिति को उलट दिया गया जिसमें शिकायतकर्ता का ही अन्वेषक अधिकारी भी होना दोषमुक्ति तक पहुंचने के लिए अभियुक्त के लिए एक गोता-तख्ता बनने के लिए यह एकल आधार अनुज्ञात था । इसके बजाय, अब यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि या तो वास्तव में पक्षपात किया गया हो या पक्षपात की सचमुच संभावना हो और अनुज्ञेय होने के लिए कोई व्यापक उपधारणा न हो । ऊपर उल्लिखित निर्णय में निकाले गए निम्नलिखित निष्कर्षों को उद्धृत करना उपर्युक्त होगा :-

> "102. उपरोक्त चर्चा और ऊपर वर्णित कारणों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं और निर्देश का उत्तर देते हैं –
>
> 'I भगवान सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य [(1976) 1 एस. सी. सी. 15], मेधा सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य [(1996) 11 एस. सी. सी. 709] और राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तमिलनाडु **बनाम** राजांगम [(2010) 15 एस. सी. सी. 369] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों और इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त की इस आधार पर की गई दोषमुक्ति को कि चूंकि इत्तिलाकर्ता और अन्वेषक एक ही व्यक्ति था, इससे विचारण

---

[1] (2018) 17 एस. सी. सी. 627.

दूषित हो गया था और अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, उनके अपने तथ्यों तक सीमित होना समझा जाता है । यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय ने विधि की कोई यह साधारण प्रतिपादना अधिकथित की है कि हर मामले में जहां इत्तिलाकर्ता अन्वेषक भी है, अभियुक्त के साथ पक्षपात कारित हुआ है और संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय ठहराया जाना चाहिए और अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ;

II. किसी मामले में जहां स्वयं इत्तिलाकर्ता अन्वेषक भी है, इसी बात को लेकर यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्वेषण पक्षपात या इसी प्रकार के कारक के आधार पर दूषित हो गया है । पक्षपात या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । अत: केवल इस कारण कि इत्तिलाकर्ता ही अन्वेषक है, इस बात से ही अन्वेषण अऋजुता या पक्षपात की बुराई से ग्रस्त नहीं हो जाएगा और इसलिए मात्र इस आधार पर कि इत्तिलाकर्ता अन्वेषक भी है, अभियुक्त दोषमुक्त का हकदार नहीं है । इस विषय को मामला-दर-मामला के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए । मोहन लाल **बनाम** पंजाब राज्य [(2008) 17 एस. सी. सी. 627] वाले मामले में इस न्यायालय का प्रतिकूल विनिश्चय और यह प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई अन्य विनिश्चय कि इत्तिलाकर्ता अन्वेषक नहीं हो सकता है और ऐसे किसी मामले में अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, उचित विधि नहीं है और उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से उलटा जाता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

11. अत: हमें अभि. सा. 8 के विरुद्ध स्वयं अपनी शिकायत का अन्वेषण करने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है । पक्षपात करने का अपीलार्थियों का दावा तात्पर्यित विलंब, कानूनी अधिदेशों के अननुपालन और स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराने से उत्पन्न होता है । वास्तव में, अपीलार्थी घुमा-फिराकर

इन्हीं तर्कों का प्रयोग करने की ईप्सा कर रहे हैं जिनको उच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग तौर पर तथ्यात्मक रूप से गलत और विधिक रूप से असंगत अभिनिर्धारित किया गया था । यद्यपि कुछ मामलों में, अन्वेषक अधिकारी द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों (या उनकी कमी) से पक्षपात उपदर्शित हो सकता है; किंतु अन्वेषण में की मात्र कमियां या अभियोजन के पक्षकथन में की खामियां पक्षपात का निष्कर्ष निकालने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं । अपीलार्थियों ने किसी भी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया था कि उन्हें मिथ्या रूप से फंसाने और वास्तविक अपराधियों को जाने देने के लिए पुलिस के साथ कोई दुश्मनी थी या उनका कोई हेतु था । इसके अतिरिक्त, स्वयं पुलिस द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध चरस की इतनी बड़ी मात्रा को गढ़ा नहीं जा सकता था ।

12. अपीलार्थियों ने सृजनात्मक रूप से यह दलील देने की ईप्सा की कि उनके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रक्रम पर प्रस्तुत किए गए आनुकल्पिक वृत्तांत का अन्वेषण करने में पुलिस की असफलता से उन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और केवल यही कारण उन्हें युक्तियुक्त संदेह के परे दोषी न ठहराने के लिए पर्याप्त है । उन्होंने **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय के पैरा 18 और 19 का स्पष्ट रूप से अवलंब लिया, जिन्हें हम इसमें नीचे उद्धृत करना उचित समझते हैं :–

> "18. यदि अभियुक्त की प्रतिरक्षा का सभी अन्य संभाव्यताओं को नकारने के लिए उचित रूप से अन्वेषण नहीं किया जाता है, तो कभी भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने 'युक्तियुक्त संदेह के परे' दोषिता को सिद्ध किया है । शिकायतकर्ता, जो स्वयं किसी अपराध के सारभूत संघटक का 'साक्षी' है, द्वारा किए गए दूषित अन्वेषण से वास्तव में 'संदेह' उत्पन्न होगा और यह असंभव है कि उस मामले को 'युक्तियुक्त संदेह के परे' के मानदंड पर सिद्ध किया जा सके ;
>
> 19. अपने प्राण या स्वतंत्रता के संकट से दंडनीय दांडिक अपराध का अभियुक्त व्यक्ति संविधान के अधीन या दांडिक

विधिशास्त्र के लंबे समय से चले आ रहे विकास के द्वारा कतिपय अधिकारों का उपभोग करता है । ऐसी किसी कार्रवाई को, जो इन अधिकारों का अतिक्रमण करती है या इन पर प्रभाव पड़ता है, 'अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव' कारित करने वाली कही जाएगी । रफीक अहमद **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(2011) 8 एस. सी. सी. 300] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था और अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी अभियुक्त को कारित प्रतिकूल प्रभाव या न्याय न होने की परीक्षा (i) ऋजु विचारण के अधिकार ; (ii) दोषी उद्घोषिता होने तक निर्दोषिता की उपधारणा और (iii) सबूत के मानदंडों के प्रतिनिर्देश करते हुए की जानी चाहिए । उक्त विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया है कि जब कभी अभियुक्त द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अभिवाक् किया जाता है, तो उपरोक्त अधिकारों और रक्षापायों के प्रतिनिर्देश करते हुए अवश्य इस बात की परीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि इन अधिकारों के मात्र अतिक्रमण के परिणामस्वरूप अभियोजन का पक्षकथन और विधि के अनुसार अभियुक्त को प्राप्त फायदा कमजोर हो सकता है ।"

13. प्रारंभ में ही, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अपीलार्थियों द्वारा अवलंब ली गई मताभिव्यक्तियां **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का निष्कर्ष, निर्णय या विनिश्चय नहीं है । इसके बजाय, इस निर्णय के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि यह एक पक्षकार द्वारा दी गई दलील थी जिससे न्यायपीठ द्वारा अंततोगत्वा असहमति व्यक्त की थी । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों द्वारा प्रदर्शित आनुकल्पिक वृत्तांत न केवल अस्पष्ट और अनधिसंभाव्य है अपितु यह हमारी समझ से बाहर की बात है कि केवल विचारण के उच्च प्रक्रम पर प्रकट की गई एक प्रतिरक्षा की कहानी का अन्वेषण न करने से कैसे पुलिस की ओर से पक्षपात करने की बात उपदर्शित हो सकती है ।

II. क्या आनुकल्पिक वृत्तांत को सिद्ध किया गया है और स्वतंत्र

साक्षी की कमी का क्या प्रभाव है ?

14. अपीलार्थियों की यह दलील कि एक ही घटना के दो भिन्न वृत्तांत होने के कारण वे दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं, महत्वहीन है । हम प्रथमत: यह स्पष्ट कर सकते हैं कि "युक्तियुक्त संदेह" अभिव्यक्ति एक भलीभांति परिभाषित अर्थबोधन है । यह उस निश्चितता की मात्रा को निर्दिष्ट करती है जो किसी अभियुक्त की दोषिता का वैध रूप से विधिमान्य अवधारण कर सकने से पूर्व किसी न्यायालय के लिए अपेक्षित होती है । ये शब्द यह सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्निहित उपाय हैं कि निर्दोषिता की तब तक उपधारणा की जानी चाहिए जब तक कि न्यायालय आरोपित व्यक्ति की दोषिता के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह नहीं पाता है । युक्तियुक्त संदेह का यह अर्थ यह नहीं होता है कि सबूत इतना स्पष्ट हो कि त्रुटि की कोई संभाव्यता विद्यमान न हो । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य अवश्य केवल इतना निश्चायक होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क से सभी युक्तियुक्त संदेह दूर हो जाए ।

15. **के. गोपाल रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "यदि साक्ष्य के युक्तियुक्त रूप से अधिसंभाव्य और समान रूप से संतुलित दो मत संभव हैं, तो एक मत में अवश्य आवश्यक रूप से युक्तियुक्त संदेह विद्यमान होने की बात स्वीकार करनी चाहिए । किंतु काल्पनिक और दूरस्थ संभाव्यताओं को अवश्य लेखे-जोखे से निकाल दिया जाना चाहिए । दोहरे मत की संभाव्यता से उद्भूत किसी संदेह के फायदे के लिए अभियुक्त व्यक्ति के हकदार होने के लिए, अभियुक्त के पक्ष में संभाव्य मत अवश्य ही इतना निकटतम युक्तियुक्त रूप से संभाव्य होना चाहिए जितना की उसके विरुद्ध मत है ।" वर्तमान अपील में के अपीलार्थी ऐसा मामला सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं जहां अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता हो ।

16. द्वितीयत:, यह उल्लेख करना उपयोगी है कि अपीलार्थियों ने

---

[1] (1979) 1 एस. सी. सी. 355.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अपने-अपने कथनों पर यह दावा किया था कि जब वे एक मंदिर के दर्शन करने के पश्चात् आ रहे थे तो "एक व्यक्ति ने हमसे यान पर लिफ्ट ली थी । जब वे अनि बाजार पहुंचे तो पुलिस पदधारियों ने यान के कागजात मांगे और उस प्रयोजनार्थ उन्हें यान सहित पुलिस थाने ले जाया गया और इसी बीच तीसरा व्यक्ति घटनास्थल से भाग गया ।" यह दावा, कि अभिगृहीत विनिषिद्ध पदार्थ एक अपरिचित अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जा रहा था जो लिफ्ट लेने के लिए रहस्यात्मक रूप से सड़क के किनारे आया था और जैसे ही पुलिस द्वारा मोटर साइकिल रुकवाई गई वह अबोधगम्य रूप से वहां से हवा में गायब भी हो गया, स्पष्टत: काल्पनिक है और इसका लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है । ऐसे वृत्तांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने पर अभियोजन का पक्षकथन ही मजबूत होता है । अपीलार्थियों ने प्रभावी रूप से यह स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे ; पुलिस के साथ वास्तव में कुछ पारस्परिक क्रिया हुई थी ; यान को रुकवाने के लिए पर्याप्त हेतु था और ऐसी तलाशी किसी पूर्व सूचना पर आधारित नहीं थी अपितु स्वाभाविक थी और इस प्रकार यह एक संयोगवश बरामदगी का मामला था ।

17. अपीलार्थियों द्वारा करम चंद (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य का भी अवलंब नहीं लिया जा सकता है । पहली बात यह कि उसका यह कथन अनुश्रुत है कि उसे पुलिस द्वारा यह बताया गया था कि घटनास्थल पर एक तीसरा व्यक्ति है और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 को ध्यान में रखते हुए अग्राह्य है । दूसरी बात यह कि विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा उसकी विश्वसनीयता को प्रभावी रूप से चुनौती दी गई थी । अभि. सा. 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटनास्थल पर होने या किसी कार्यवाही का पक्षकार होने की बात से इनकार किया ; किन्तु बाद में उसने अभियोजन के वृत्तांत का खंडन करने का थोड़ा प्रयत्न किया । उसने अपना अभिसाक्ष्य देने के दिन सुबह शिव कुमार, जिसे अपीलार्थियों द्वारा अपने पक्ष में कर लिया गया था, के साथ विचारण न्यायालय जाने की बात को भी स्वीकार किया था । तीसरी बात यह कि इस बात को देखते हुए

कि अभि. सा. 3 ने स्वयं यह दावा किया है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं था, उसके कथन का अधिक-से-अधिक यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उसके सामने कोई चरस बरामद नहीं हुई थी, न कि यह कि अपीलार्थियों से कोई चरस बरामद ही नहीं हुई थी ।

18. जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक ठीक ही यह मूल्यांकन किया गया है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने से कोई स्वयंमेव दोषमुक्ति की ईप्सा करने का हकदार नहीं हो जाएगा । यद्यपि ऐसे दृष्टांतों में न्यायालय पर सावधानी बरतने का अत्यधिक उच्च मानक अधिरोपित हो जाता है, किन्तु यहां यह सुझाव देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं था । बल्कि, विचारण न्यायालय के तर्काधार को कायम रखने का परिणाम किसी दस्तावेज के बनाने में संबद्ध प्रत्येक साक्षी की अनिवार्य रूप से परीक्षा करने की कोटि में आता है । सबूत का ऐसा मानक अधिरोपित करना न केवल कानून द्वारा असमर्थित है अपितु, हमारी राय में यह अयुक्तियुक्त रूप से दुर्भर भी है । उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विस्तार से पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् सरकारी पदधारियों के परिसाक्ष्यों को अकाट्य पाए जाने पर उनका ठीक ही अवलंब लिया गया था । हमें ऐसे निष्कर्ष (निष्कर्षों) से असहमत होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

III. क्या उच्च न्यायालय ने अपील में दोषमुक्ति को उलटकर गलती की है ?

19. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालयों को किसी दोषमुक्ति को उलटने और एक समुचित दंडादेश अधिनिर्णीत करने की शक्ति है ; यद्यपि वे व्यवहारत: ऐसी शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें । उदाहरण के लिए, विधि की स्पष्ट गलतियां, न्याय की घोर हानि या तथ्य के अनुचित निष्कर्ष ऐसे कुछ अनुज्ञेय कारण हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे हस्तक्षेप करने को आवश्यक बनाते हैं ।

20. इस मामले में, विचारण न्यायालय ने तथ्यों का मूल्यांकन एक

यांत्रिक रीति में किया और विधि के गलत निर्वचन के आधार पर विशिष्ट रूप से सबूत के भार के समाधान के संबंध में, अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को खारिज कर दिया । अतः, उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने और एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

21. अपीलार्थियों का यह दावा भी, कि उच्च न्यायालय ने अपील के प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन न करने की बात पर विचार न करके गलती की है, विधि की गलत समझ पर आधारित है । जैसा कि **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पवन कुमार**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए रक्षोपाय का विस्तार उसके द्वारा लिए हुए थैले या अन्य वस्तुओं पर नहीं होगा । इस बात को देखते हुए कि स्वापक पदार्थ कैसे एक पीठू थैले से बरामद हुआ था, अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष दोनों के वृत्तांतों के अनुसार, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।

निष्कर्ष

22. पूर्वोक्त कारणों से, हम इन अपीलों में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिन्हें तद्नुसार खारिज किया जाता है । अपीलार्थियों के जमानत बंधपत्र, यदि कोई है, रद्द किए जाते हैं और प्रत्यर्थी-राज्य को उन्हें उनके शेष दस वर्ष के दंडादेश का भुगतने के लिए अभिरक्षा में लेने का निदेश दिया जाता है । सभी अन्य लंबित आवेदनों का तद्नुसार निपटारा किया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.

---

[1] (2005) 4 एस. सी. सी. 350 : ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2265.